

संशोधित नियमायली

१. ग्रन्थ का नाम

२. संख्या वा पर्याप्ति

३. नियमायली का चालकोंवा

४. नियमायली के उद्देश्य

५. नियमायली का वर्णन—

(६) आपीयन सदरय— नाम्या को ३००/-—०० रुपय या इससे अधिक रुपय या अपने राज्यायल दान राज्यायल दान या अपीयन सदरय लाया जायेगा।

(७) राजायल पदहरय— नाम्या को प्रतीक्षा अप्रैल मास में १००/-—०० रुपय अधिक राज्यायल रुपय भजने वाले जो नाम्या का सदरय लायेगा।

८. राज्यायल या समाप्ति—

कुनू यीने पर वागत होने पर दीयालिया हीने पर नित्य न्यायालय द्वारा देखत तुने पर नाम्या की नियमी जो भालन न करने पर नियायालय नाम्या का शुल्क तो अदा करने पर राज्यायल दीन बैठकी में जिन नियमी द्वारा कानून के अनुपस्थित लगे पर रुपय पर शहीकरण या जने वाले नाम्या प्रदायन प्रदायन होने पर नाम्या सदरया तक तभाष हो जायेगी।

९. नाम्या का अंग—

नाम्या के दो अंग होते हैं।

(१) राजायल राजा।

(२) प्रबन्धकारिणी समिति।

१०. नाम्या का उपचार—

(१) गद्दी— राजायल राजा को गद्दी राज्यायल के अपीयन द्वारा देकर तो नाम्या का गद्दी।

(२) बैठकी— नाम्या राजा की नाम्यायल बैठकी को में एक विशेष दीर्घकी या आवश्यकतानुसार कमी भी तुलयी जा सकती है।

(३) सूखाया अंगपि— राजायल राजा की नाम्यायल विशेष को १५ दिन पूर्व विशेष दीर्घकी के दिन तूरं तूरं देकर ही सूखाया जा सकता है।


(४) समाप्ति— राजायल राजा की सभी उपचार जो बैठकी तो जिसे कुल नाम्या दीप्ति २/३ की रामिणी आदायक होती है। (जिसे जोड़ा तो अमाय न नियमित करती तो वह नाम्या पार युद्ध आये तरीके पर वार्ता का ग्राहन का ग्राहन कर द्वारा) जिसे रजिस्टर दी रहते हैं।

(५) विशेष आवश्यक अविधेयत की तिथि— राजायल राजा का विशेष आवश्यक आवृद्धायल इतिहास की समाप्ति या नियमी जो आये जायेगा, विशेष तिथि प्रबन्धकारिणी की तिथि होती है।

(६) १—वार्ता आय—याद/ भागट की आविष्ट जरूरत।

२—पार युद्ध जो नियर प्रबन्धकारिणी तिथि का अनुमान करता।

३—विशेष व नियमी ने ३/५ यो अनुमान ने संकेतप्रकारकी जरूरत।



राज्यायल मिति

२०१८ अगस्त

को अधिकारी अवस्था

राज्य प्रतिवेदन

अधिकारी अवस्था

३ प्रधनमंत्री नियमिति—

(अ) मठम— प्रधनमंत्री नियमिति का गठन लगभग वो सभी वादवायी गों शिष्यवान सम्बन्ध सभा की देखके में चुनाव द्वारा नियुक्त हो जायेगा। जिससे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक, कालापद्धति आदि सभा नियोजक रूपमें स्थापित होंगे। इस द्वारा युलू उत्तरस्थी की प्रबन्धनारिती नियमिति होगी जिसमें वो दम्भी जी दृष्टये गए बदलते जा सकते हैं।

(ब) बैठकी— प्रधनमंत्री नियमिति का सामन्य बैठके बारे लिए विवाह विवाही गों आवादकानानुसार की भी तुलाधारा जा सकता है।

(स) चूकना आदि— प्रधनमंत्री नियमिति वो रामानु देखावी परी २ दिन पूर्व दिनेव दिनों का २५ घण्टे पूर्व चूकना देकर ही तुलाधारा जा सकता है।

(द) गताधुनी— प्रधनमंत्री नियमिति वो रामानु देखावी परी २/३ जी चपरिषिद्धि आवादाधारा होगी। जिसके परिवर्तने से अन्य ने अनियमिति दिनों का दून आवाद काले पर छोड़ने पर प्रतिबन्ध न होगा।

(ए) शिक्षा संस्थानों की पूर्ति— प्रधनमंत्री नियमिति के शिक्षा संस्थानों वो पूर्ति सम्बन्ध सभा पूर्व देखके में चुनाव द्वारा दीन लालैकाल के हिते चिन्ह जायेगा।

(फ) कार्यकाल— प्रधनमंत्री नियमिति का कार्यकाल पांच वर्ष की होगा।

(ग) प्रबन्धनारिती के कठिन्य एवं अधिकार—

१. देखावा जा प्रधनमंत्री कार्य करना।
२. अधिका उभावि वो शिविर एवं विवाही वरन्
३. धर्मिका वार्षिकों की जन रेखा तिज्जन वर्ष लाभ लायाना।
४. संस्था की समस्त घटन व घटन लाभलो एवं लाभान्वयन करना।
५. उपर नियमिति की लाभगियां जी लायाना वीर उमदे भवाधिकारितों वी नियुक्ता करना।
६. संस्था की विदाओं लो तुलाधारा।
७. उदादेश्यों की पूर्ति हेतु उच्च उच्चकार उन्ना जनकार स्माल कल्पना लियान, खादी लया यासीदारी पूर्ण, खादी अवयोग, युद्धीर पर रामानु देखावा नियेकालम वार्षीयवार्षा दिव्य, कित्तीय वास्थानों एवं नागरिकों वी अधिक यात्रावा, जेव उमुदान, यादा दाय उमुदान, घटन व अपल उमुदान प्राप्त करना।
८. शिक्षा संस्थानों (तालूक ज्ञान वार्डीय) की स्वतंपत्त करना। यास्थान में नियमिति द्वारा जगतराज गान्धीशालय रात का संग्रहालय लिया जा रहा है वीर भवित्वे वी प्राधिक, गाव्यमिक, एवं उच्च विद्युत संस्थानों के संचालन का पूर्ण अधिकार रखना।

(घ) इच्छाकारिती नियमिति के भवाधिकारियों वी अधिकार एवं कारीय—

- (अ) उपलब्ध—
- १— रामी प्रधावार की बैठकी वी उत्तरात्ता इच्छावार करना।
 - २— बैठकी आदि वी शिष्यितो वा अमुमीदान व वरिवर्तन जारना।
 - ३— प्रधावा नियमिति द्वारा उत्तराधित ज्ञानावाजी वी रीतावार करना।
 - ४— संस्था पर नियमत्व उत्तराद्देव उक्त दिवावा हेतु प्रधावा करना।
 - ५— रामी प्रधावार की बैठकी वी संवादित करना।

संस्कारालय

—गोपन कुमार

२५ मार्च २०१५

संस्कारालय

मुर्गी देवी

(३) प्रस्तुति-

- गांधीज विप्रोट रिपोर्ट द्वारा कर दिए गए समिति के सभा प्रस्तुत करना।
 - ऐसली भी कर्तव्यकारियों द्वारा लिपिबद्ध करना।
 - गांधीज विप्रोट साक्षात् राजा द्वारा द्वारा लिपिबद्ध करना।
 - सभा की ओर से समर्पित रूप वारपरी द्वारा इसानाम करना।
 - सभा की ओर से राजी प्रकार के प्रश्न उच्चहत्तर करना।
 - सभा की ओर से समर्पित वारपरी का संधालन करना।
 - सभा के मुख्य वारपरीक अधिकारी द्वारा काम में कार्य करना।
 - उद्दीरणीयों द्वारा हेतु तत्त्व अनुदान, गति, दान आदि प्राप्त करना।
 - छाती धारकों द्वारा चाढ़ी आवेदन के नियमानुसार संस्था समाजसेवा पर एवं विद्या करना।
 - कांगड़ारियों, कालवलाजी, प्रारोक्षवारी आदि द्वारा लिखित नियम विवरण एवं पदचयन करना।
 - आवश्यकतानुसार भाव वृक्षार रूपरी द्वारा वारपरी, अधिक वर्त के लिये प्रस्तुत रामिति द्वारा अनुशीलन प्राप्त करना।
 - सदस्यों द्वारा सदस्यों शुल्क प्राप्त कर उनको रखी देना।
 - समय- समय पर प्रबन्ध समिति के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
 - सभा की समर्त अल व लाल लापति एवं अधिसेष्यों को सुनिश्चित करना।
 - सभा के विकास हेतु वारपरी दिलाना पर अन्य अधिकारी द्वारा सम्पर्क ल्यायित करना।
 - सभा के विकास में अपना योगदान करना।
 - प्रबन्धक को पर अनुशीलक रहेण।
- (४) उप प्रबन्धक- प्रबन्धक भी अनुप्रिक्षिये वे उनका इनकार कराये गए वारों को जल्दी भी सभा के विकास हेतु खारी उत्ता एवं विवेचनों के लिये रामप-समाप-समाप पर अध्यक्ष बने हों।

- (५) कोषाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसको छाता-वारी की करना व आव वारा विषय का सम्पूर्ण लेख-जोखा द अधिसेष्य संग्राह कर प्रबन्ध समिति को युक्त विधिवारी /अधिकारी की सीधना।

- (६) आय-दाय निरीक्षक- सभा के सम्पूर्ण आय-दाय को आदित करना एवं अपनी आदित रिपोर्ट को सभासभा राजा में आध्यक्ष के सम्म दर्शुत करना व आदित पर्ती को सुनिश्चित रखना व सभीका के विकास हेतु योगदान देना।

10. सभा की विधानों एवं विनियमों वे संशोधन प्राप्ति- सभा की विधानों के विनियमों में संशोधन परिवर्तन सम्भवता रहा। की विधक वे २/३ की बहुमत के आवार नह रहेन।

11. सभा का फोर्म- सभा का आय विधी दारूप्राप्ति विह वे जीवन के नए जीवन लीलापर वामा किया जायेगा जीवन का आप्राप्ति सभा ने प्रकारक/विनायका एवं प्रियतिमि विवरण से किया जायेगा जावायाइज्जनुसार उपर्युक्त समिति अपने विषय से लाती का संविलन सम्पूर्ण राजसाही द्वारा दर्शाया गया है।

12. सभा के आय-दाय का लेखा विवरण- जीवन के आय दाय का लेखा एवं विवरण आदि

राजसाही विवरण

२०१८/१९/०९/२०१८

मूलिं देवी

राजसाही ११

जीवित हो) किया जाएगा जो तत्त्वान्‌में निरूपित जाग एवं निरीक्षक एवं याउँहु पृष्ठान्देश
द्वारा संसारस्मान जायेगा जिसको लियों तात्परी वाक्यावलय एवं वाचावलय तथा में प्रभूत जो
जायेगी।

13. संस्था द्वारा अपनी उत्तराधिकारी के सम्मान में उत्तराधिकारी-
संस्था द्वारा अपनी उत्तराधिकारी के सम्मान में उत्तराधिकारी-
उत्तराधिकारी के सम्मान में उत्तराधिकारी के सम्मान में उत्तराधिकारी-
उत्तराधिकारी के सम्मान में उत्तराधिकारी के सम्मान में उत्तराधिकारी-

14. संस्था का अग्रिमोक्ष-

प्राचीन विजय राजा

1. नामस्वरा रजिस्टर 2. कार्डकही रजिस्टर 3. एसेंड्रा रजिस्टर 4. स्टार्क रजिस्टर
5. फैशन रजिस्टर - 201

1. नापरवता रजिस्टर 2. कार्डकड़ी रजिस्टर 3. एसेज़ो रजिस्टर 4. रदान रजिस्टर
 5. फैशं पुक आदि होगे।

16 संस्कृत भाषा

संस्था का विषय तथा और विषयित सम्पत्ति के नियन्तारण उसी कार्रवाई की अवधारणा के एक दृष्टिकोण एक वी घास 1300 14 के अन्तर्गत होगा।



(गोप्य अधिकारी)

Results

માર્ગ દર્શક

संग्रहालय

३५८

સુર્યાંગ

Book
Organization